

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज—पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <i>Extraordinary</i>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	वैशाख 26, बुधवार, शाके 1934—मई 16, 2012 <i>Vaisakha 26, Wednesday, Saka 1934—May 16, 2012</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**  
**(GROUP-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, May 16, 2012**

**No. F. 2 (31) Vidhi/2/2012.**—The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 15<sup>th</sup> day of May, 2012 is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES**  
**(AMENDMENT) ACT, 2012**

**(Act No. 20 of 2012)**

**[Received the assent of the Governor on the 15<sup>th</sup> Day of May 2012]**

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 43 of 1956.**- In section 3 of the Rajasthan Minister's Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing expression "1<sup>st</sup> April, 2010", the expression "1<sup>st</sup> April, 2012" shall be substituted;

- (ii) in clause (a), for the existing expression "twenty five thousand rupees", the expression "thirty five thousand rupees" shall be substituted;
- (iii) in clause (b), for the existing expression "twenty two thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted;
- (iv) in clause (c), for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "twenty seven thousand rupees" shall be substituted; and
- (v) in clause (d), for the existing expression "eight thousand two hundred fifty rupees", the expression "twenty four thousand rupees" shall be substituted.

**3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 43 of**

**1956.-** In section 4 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-
  - (a) for the existing expression "1<sup>st</sup> April, 2010", the expression "1<sup>st</sup> April, 2012" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "twenty five thousand rupees", the expression "thirty five thousand rupees" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2),-
  - (a) for the existing expression "1<sup>st</sup> April, 2010", the expression "1<sup>st</sup> April, 2012" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted;
- (iii) in sub-section (3),-
  - (a) for the existing expression "1<sup>st</sup> April, 2010", the expression "1<sup>st</sup> April, 2012" shall be substituted; and

- (b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted; and
- (iv) in sub-section (4),-
  - (a) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 1998 (Act No. 4 of 1998)", the expression "1<sup>st</sup> April, 2012" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "two thousand five hundred rupees", the expression "twenty thousand rupees" shall be substituted.

**4. Amendment of section 7-B, Rajasthan Act No. 43 of 1956.-** In section 7-B of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-
  - (a) for the existing expression "1<sup>st</sup> April, 2010", the expression "1<sup>st</sup> April, 2012" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "twenty seven thousand rupees" shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (3),-
  - (a) for the existing expression "1<sup>st</sup> April, 2010", the expression "1<sup>st</sup> April, 2012" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग****(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, मई 16, 2012**

**संख्या प. 2(31) विधि/2/2012.**-राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान मिनिस्टर्स सैलेरीज (अमेन्डमेंट) एक्ट, 2012 (एक्ट नं. 20 ऑफ 2012)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

**राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2012****(2012 का अधिनियम संख्यांक 20)**

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 मई, 2012 को प्राप्त हुई]

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

**2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 3 का संशोधन.-** राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंतीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (iii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बाईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्ताईस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (v) खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " आठ हजार दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौबीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं 43 की धारा 4 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंतीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में,-

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (3) में,-

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (4) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 4) के प्रारंभ की तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**4. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं 43 की धारा 7-ख का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 7-ख में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्ताईस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (3) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

6

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।